निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ 1937 (श0)

(सं0 पटना 133) पटना, बुधवार, 10 फरवरी 2016

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचनाएं

8 फरवरी 2016

सं0 2ब0/मु०मं०न०वि०यो०–08–01/2013–870/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (समय समय पर यथा संशोधित) की धारा–75(छ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतद् द्वारा पूर्व अधिसूचना संख्या– 2726, दिनांक 10.09.2014 की कंडिका–3 में अंतर्दिष्ट दोनों परन्तुकों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करती है :–

"परन्तु, यह कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा नगर निगमों में 60 लाख से अधिक किन्तु 100 लाख रुपये से अनधिक, नगर परिषदों में 20 लाख से अधिक किन्तु 40 लाख से अनधिक तथा नगर पंचायतों के लिए 10 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख से अनधिक की संविदा, प्राधिकृत स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना, नहीं की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, नगर निगमों के लिए 100 लाख रुपये से अधिक, नगर परिषदों में 40 लाख रुपये से अधिक तथा नगर पंचायतों में 20 लाख रुपये से अधिक के व्यय की कोई संविदा, नगर निगम, नगर परिषद् या नगर पंचायत की स्वीकृति के बिना, नहीं की जा सकेगी।

स्पष्टीकरणः–नगर निगमों में मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को 60 लाख रुपये तक, नगर परिषदों में 40 लाख रुपये तक तथा नगर पंचायतों में 20 लाख रुपये तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति होगी। इससे अधिक राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, नगर निगम, नगर परिषद् या नगर पंचायत की प्राधिकृत स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना, नहीं होगी।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 8th February 2016

No. 2B/Mu० m० n० v० yo-08-01/2013-871/UD&HD—In exercis of the powers conferred by proviso to Section 75 (g) of Bihar Municipal Act, 2007 (as amended time to time) the State Government, Bihar, is hereby please to substitute both the provisoes condained in para–3 of earlier notification number 2726, dated 10.09.2014 by the following:-

"Provided that no contract involving an expenditure exceeding 60 lakh rupees but not exceeding 100 lakh rupees in case of a Municipal Corporation, Twenty lakh rupees but not exceeding Forty lakh rupees in a Municipal Council or Ten lakh rupees but not exceeding Twenty lakh rupees in case of a Nagar Panchayat may not be made by the Chief Municipal Officer without the sanction of the Empowered Standing Committee:

Provided further that no contract involving an expenditure exceeding 100 lakh in case of a Municipal Corporation, Forty lakh in case of a Municipal Council or Twenty lakh in case of Nagar Panchayat may not be made by the Chief Municipal Office without the sanction of the Municipal Corporation or Municipal Council or nagar Panchayat as the case may be.

Justification:—The Chief Municipal officer will have power to give administrative sanction of a scheme upto Sixty lakh rupees in case of a Municipal Corporation, upto Forty lakh rupees in case of Municipal Council and upto Twenty lakh in case of Nagar Panchayat. The administrative sanction of the schemes exceeding the amount shall be accorded by the Empowered Standing Committee of the Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchayat.''

By order of the Governer of Bihar,
AMRIT LAL MEENA,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 133-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in